न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/169 **दायरा दिनांक : 27.09.2022**

उनवान

सुन्दरलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति किराड निवासी – मुसई गुजरान तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– भैरूलाल पुत्र श्री पन्नालाल जाति किराड
2– सीताबाई पत्नी भैरूलाल जाति किराड
3– हेमराज पुत्र भैरूलाल जाति किराड
4– परमानन्द पुत्र भैरूलाल जाति किराड
5– रामकिशन पुत्र भैरूलाल जाति किराड
6– जमनालाल पुत्र भैरूलाल जाति किराड
7– सुमित्रा बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी मथुरा लाल जाति किराड निवासी मुसई गुजरान तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
8– संतोष बाई पुत्री श्री भैरूलाल पत्नी सत्यनारायण जाति किराड निवासी मुसई गुजरान तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारा राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री अमित शर्मा एवं महेन्द्र शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बृजराज सिह चौहान रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 22.08.2024**

ये अपील उपखण्ड अधिकारी अटरू के प्रकरण संख्या – 25/2022 निर्णय दिनांक 24.08.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम माल मुसई गुजरान तहसील अटरू में खाता संख्या 279 खसरा नं. 1308 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं. 1318 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नं. 1322 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नं. 1467 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नं. 1854/876 रकबा 0.96 हेक्टर, खसरा नं. 1855/1155 रकबा 0.22 हेक्टर, खसरा नं. 1856/1157 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नं. 1857/1167 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नं. 1858/1174 रकबा 0.23 हेक्टर कुल 9

22/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किता रकबा 2.63 हेक्टर आराजी अप्रार्थी कम 1 मृतक भैरूलाल के दर्ज खाता चली आ रही है। खाता संख्या 462 के खसरा नं. 1179 रकबा 0.70 हेक्टर, खसरा नं. 1231 रकबा 0.48 हेक्टर, खसरा नं. 315 रकबा 1.12 हेक्टर, खसरा नं. 316 रकबा 0.73 हेक्टर कुल 4 किता रकबा 3.03 हेक्टर आराजी अप्रार्थी कम 2 सीता के दर्ज खाता चली रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय दिनांक 24.08.2022 द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश यथावत रखे जाने के आदेश दिये जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वाद पत्र की मद नं. 01 में वर्णित आरजी के खाता संख्या 279 के कुल किता 9 का रकबा 2.63 हेक्टर आराजी जो प्रतिवादी कम 1 भैरूलाल के दर्ज खाता है, में से प्रतिवादी कम 1 ने कुल किता 9 का रकबा 2.63 हेक्टर में से 2.15 हेक्टर आराजी का दानपत्र अपने चार पुत्रों प्रतिवादी कम 3 लगायत 6 के पक्ष में दिनांक 27.08.2020 को उपपंजीयक अटरू के यहां रजिस्टर्ड दान पत्र प्रतिवादी कम 3 लगायत 6 के पक्ष में करवा दिया व शेष रकबा 0.48 हेक्टर का दान पत्र वादी के पक्ष में नहीं करवाया गया, जबकि वादी भी भैरूलाल का पुत्र है। तथा खाता संख्या 462 का कुल किता 4 का रकबा 3.03 हेक्टर आराजी जो प्रतिवादिया कम 2 सीताबाई के दर्ज खाता है, में से प्रतिवादिया कम 2 ने कुल किता 4 का रकबा 3.03 हेक्टर में से 2.44 हेक्टर आराजी का दान पत्र अपने चार पुत्रों प्रतिवादी कम 3 लगायत 6 के पक्ष में दिनांक 27.08.2020 को उपपंजीयक अटरू के यहां रजिस्टर्ड दान पत्र प्रतिवादी कम 3 लगायत 6 के पक्ष में करवा दिया व शेष रकबा 0.59 हेक्टर का दान पत्र वादी के पक्ष में नही करवाया गया, जबकि उक्त सम्पूर्ण आराजी पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें वादी का जन्म से ही अधिकार एवं हिस्सा बनता है। इसलिए उक्त दोनों दान पत्र अवैधानिक एवं गैरकानूनी है, तथा अभी वर्तमान में उक्त दोनों दानपत्रों का नामान्तरण प्रतिवादी कम 3 लगायत 6 के पक्ष में नहीं हुआ है। नकल दान पत्र भैरूलाल व सीताबाई की प्रति वाद के साथ सलंग्न है, जो काबिले गौर है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो. कम – 1 की खाता संख्या 279 कुल 9 किता रकबा 2.63 हेक्टर कृषि आराजी पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार कर अपीलांट के पक्ष में मौके एवं रिकार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करने अर्थात् यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया।

रेस्पो0 कम 3 सीताबाई पत्नी स्व0 भैरूलाल की खाता संख्या 462 कुल 4 किता रकबा 3.03 हेक्टर भूमि के संबंध में उपरोक्त कृषि आराजी को सीताबाई की स्वअर्जित सम्पत्ति मानकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 कम 2 के खाते मे दर्ज आराजी को इस आधार पर स्वअर्जित माना है कि उपरोक्त आराजी रेस्पो0 कम 2 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12.09.1995 तथा दिनांक 10.12.1996 को कय की है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस तथ्यों पर गौर नहीं किया गया कि रेस्पो0 कम 2 घरेलू महिला है तथा रेस्पो0 कम 2 का स्वतंत्र आय का कोई स्त्रोत नहीं है, ना ही उपरोक्त सम्पत्ति रेस्पो0 कम 2 को अपने पीहर पक्ष से प्राप्त हुई है। रेस्पो0 कम 2 के द्वारा उपरोक्त

22.8.2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

समस्त सम्पत्ति अपीलांट के पिता की आय से कय की हुई है तथा अपीलांट के पिता के द्वारा स्नेहवश इस कृषि आराजी का पंजीकृत विकय पत्र अपनी पत्नी रेस्पो0 कम 2 के पक्ष में आलेखित किया गया, इसलिए रेस्पो0 कम 2 को सम्पत्ति का अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं है। केवल मात्र रेस्पो0 कम 2 के पक्ष में विकय पत्र आलेखित होने से उसे कृषि आराजी का स्वामी नहीं माना जा सकता, इसके अतिरिक्त रेस्पो कम 2 के द्वारा अपने जवाब में इस आराजी को कय करने हेतु आय का स्त्रोत भी नहीं बताया। इसलिए प्रथम दृष्टया उपरोक्त आराजी की रेस्पो0 कम 2 स्वामी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा लिखित बहस पेश की गयी जिसे पत्रावली में शामिल किया गया। अपनी बहस में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट रेस्पो0 कम 2 का पुत्र है। सारी भूमियां पैतृक हे जिसमें अपीलांट का जन्म से हक अधिकार व हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 कम 2 के खाते में दर्ज आराजी को इस आधार पर स्वअर्जित माना है जो उसके द्वारा पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 12.09.1995 तथा दिनांक 10.12.1996 को कय की है, जब कि वह घरेलू महिला है, उसका स्वतंत्र आय का कोई साधन नहीं है, न उसे पीहर पक्ष से प्राप्त हुई है। उसके द्वारा अपीलांट के पिता की आय से आराजी कय की गयी है, तथा स्नेह वश अपीलांट के पिता द्वारा इस कृषि आराजी का पंजीकृत विकय पत्र अपनी पत्नि रेस्पो0 कम 2 के पक्ष में आलेखित किया गया है, अतः रेस्पो0 कम 2 को इस सम्पत्ति को किसी रूप में अन्तरण करने का अधिकार नहीं है। रेस्पों कम 2 के पक्ष में विकय पत्र आलेखित होने से उसे इस आराजी का स्वामी नहीं माना जा सकता है। उसके द्वारा जवाब में आराजी कय करने में किये व्यय की आय का स्त्रोत भी नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 के द्वारा तथाकथित आराजी को स्त्रीधन भी नहीं बताया, जिससे प्रकट होता है कि उक्त कृषि आराजी रेस्पो0 कम 2 को अपने पीहर से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि अपीलांट के पिता के द्वारा ही अपनी आय से आराजी कय करके रेस्पो0 कम 2 के पक्ष में विकय पत्र आलेखित करवाया गया है। रेस्पो0 कम 2 के द्वारा उपरोक्त आराजी किस प्रकार से प्राप्त हुई, इस संबंध में कोई अभिवचन न किये जाने के कारण उसके विरूद्ध इस बात की प्रतिकूल उपधारणा ली जानी चाहिए कि वादग्रस्त आराजी रेस्पो0 कम 2 के नाम बैनामी कय की गयी है, तथा इस आराजी का वास्तविक स्वामी अपीलांट का पिता है, तदनुसार इस आराजी पर भी स्थगन आदेश जारी किया जाना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जावे। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

2-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी गहनता से अवलोकन किया गया। अपील मीमो एवं अपीलांट की बहस का मुख्य बिन्दु यह है कि *''अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 कम 2 के खाते में दर्ज आराजी को इस आधार पर स्वअर्जित माना है जो उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.09.1995 तथा दिनांक 10.12.1996 को क्रय की है, जब कि वह घरेलू महिला है, उसका स्वतंत्र आय का कोई साधन नहीं है, न उसे पीहर पक्ष से प्राप्त हुई है। उसके द्वारा अपीलांट के पिता की आय से आराजी क्रय की गयी है, तथा स्नेहवश अपीलांट के पिता द्वारा इस कृषि आराजी का पंजीकृत विक्रय पत्र अपनी पत्नि रेस्पो0 कम 2 के पक्ष में आलेखित किया गया है, अतः रेस्पो0 कम 2 को इस सम्पत्ति को किसी रूप में अन्तरण करने का अधिकार नहीं है।''* अपीलांट की बहस के अनुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पो0 कम 2 को पीहर पक्ष से प्राप्त नहीं हुई तथा अपीलांट के पिता द्वारा अपनी आय से क्रय की गयी होने से इस आराजी का वास्तविक स्वामी अपीलांट के पिता होने से इस आराजी पर भी स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय को जारी करना चाहिए था।

उक्त प्रश्न का निर्धारण करने में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का सेक्शन 14 (1) हमारा मार्गदर्शन करता है कि – *" Any property possessed by a female Hindu, whether required befor or after the commencement of this Act, shall be held by her as full owner thereof and not as a limited owner. Explanation - In this sub- section, "Property" includes both movable and immovable property acquired by a female Hindu by inheritance or devise, or at a partition, or in lieu of maintenance of arrears of maintenance, or by gift from any person, whether a relative or not, before, at or after her marriage, or by her own skill or exertion, or by purchase or by prescription, or in any other manner whatsoever, and also any such property held by her as stridhana immediately before the commencement of this Act."* अतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार विवादित आराजी की रेस्पो0 कम–2 का Absolute owner होना सिद्ध होता है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होने के कारण यथावत् रखा हम जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 22/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा